

## प्रेस नोट दिनांक- 27.11.2024 जनपद प्रतापगढ़

### थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार अन्तर्गत धारा 419, 420, 406, 465, 468, 467, 471, 120बी भादवि में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कूटरचित दस्तावेज/खतौनी के आधार पर जमीन का फर्जी बैनामा के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत चिरकुट्टी चौराहा से वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

आरोपीगण द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज व खतौनी के आधार पर धोखाधड़ी कर जमीन का फर्जी बैनामा का झांसा देकर पैसा हड़पने के प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त बट्टी यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव निवासी ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को चिरकुट्टी चौराहा से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण से प्रभारी निरीक्षक रानीगंज आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 27.11.2024 को उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह आरक्षी मुकेश पटेल, आरक्षी राजू गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 245/24 धारा 419, 420, 406, 465, 468, 467, 471, 120बी भादवि में वांछित अभियुक्त बट्टी यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव निवासी ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत के चिरकुट्टी चौराहा से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- 1- बट्टी यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव निवासी ग्राम रामापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम – उ0नि0 अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह आरक्षी मुकेश पटेल, आरक्षी राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़**

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह का अंकित कुमार देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मा0 न्यायालय विशेष न्यायलय प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारंटी प्राप्तशुदा मु0अ0सं0 211/18 से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त कमल सरोज पुत्र हरिलाल सरोज निवासी ग्राम हैसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण- 01.कमल सरोज पुत्र हरिलाल सरोज निवासी ग्राम हैसी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह का अंकित कुमार थाना मान्धाता, जनपद- प्रतापगढ़ ।

### **“सडक पर चढा शुरुुर तो जेल जाओगे जरुर”**

05 नशेबाजों के विरुद्ध थाना बाघराय पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

आपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत बाघराय पुलिस द्वारा पूर्व में कुल 34 नशेबाजों के विरुद्ध की जा चुकी है कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश

जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करने वालों पर कारवाई के निर्देश

"आपरेशन नशा मुक्ति" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरुुर

कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना प्रतापगढ़ पुलिस का उद्देश्य

शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/ पश्चिमी) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन नशा मुक्ति" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करने तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में दिनांक 27.11.2024 को कुल 05 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने पर पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

प्रतापगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार ने इस सम्बन्ध में कहा कि मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के 90 दिवसीय अभियान के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन नशा मुक्ति" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

“आपरेशन नशा मुक्ति” अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाएगा।